क्रम-संख्या–206

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 अगस्त, 2007

श्रावण 12, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1441/79–वि–1-07-1(क)22/2007

लखनऊ, 3 अगस्त, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 2 अगस्त, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 को निरसित करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2006 का निरसन

2-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2007 का निरसन

3-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2006) के अधिनियमन राज्य में अधीनस्थ सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन हेतु एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये किया गया था। उक्त अधिनियम के अधीन सरकार/निगम/बोर्ड के अधीन समूह 'ग' की सेवाओं के पदों पर चयन के लिये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को स्थापित और सशक्त किया गया था। चूंकि उक्त अधिनियम में अनेक कमियां थीं अतः आयोग समुचित रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था और जिस उद्देश्य के लिये आयोग को स्थापित किया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। आयोग की स्थापना हुये एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया था किन्तु आयोग की कार्यप्रणाली और भर्ती की प्रक्रिया की जटिलता के कारण आयोग द्वारा कोई भर्ती नहीं की गयी थी। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को निरसित कर दिया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चिय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिये विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया था।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 1441/LXXIX-V-1-07-1 (ka) 22/2007

Dated Lucknow, August 3, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhinastha Seva Chayan Ayog (Nirsan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented by the Governor on August 2, 2007 :–

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION COMMISSION (REPEAL) ACT, 2007

[U.P. ACT NO. 21 OF 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 2006.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Repeal) Act, 2007. Short title

2. The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 2006 is hereby repealed. Repeal of U.P. Act no. 1 of 2006.

3. The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Repeal) Ordinance, 2007 is hereby repealed. Repeal of U.P. Ordinance no. 6 of 2007

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 2006 (U. P. Act no. 1 of 2006) was enacted to provide for the establishment of a Subordinate Services Selection Commission for the selection of candidates for appointment to the posts of certain categories of subordinate services in the State. Under the said Act the Uttar Pradesh Subordinate Selection Commission was established and empowered to make selection of Group 'C' posts of services under the Government/Corporation/Board. Since there were several short comings in the said Act, the Commission could not function properly and the objective for which the Commission was established could not be fulfilled. More than one year had been elapsed since the establishment of the Commission but due to complexity of the functioning of the Commission and the procedure of recruitment no selection had been made by the Commission. It was, therefore, decided to repeal the said Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Repeal) Ordinance,2007 (U.P .Ordinance no. 6 of 2007) was promulgated by the Governor on June 02,2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 334 राजपत्र-(हि0)-(905)-2007-597 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 182 सा0 विधायी-(906)-2007-850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।